न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बड़ीसादड़ी
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बडीसादडी जिला चितौड़गढ़(राज.)
पीठासीन अधिकारी – जितेन्द्र कुमार पाण्डे (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 16/16 मू.रे. दिनांक 27.02.18

1. श्रीमती चांदी बाई पुत्री जगन्नाथ माली आयु वयस्क निवासी निकुंभ हाल मुकाम कन्नौज तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ।
2. श्रीमती देउबाई पुत्री जगन्नाथ माली आयु वयस्क निवासी निकुंभ तहसील बडीसादडी जिला चितौडगढ(राज.)।

– प्रार्थीगण

।। बनाम ।।

1. श्री राधेश्याम पिता श्री शंकर जी माली आयु वयस्क निवासी निकुंभ
2. श्री राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार साहब बडीसादडी

– प्रतिवादीगण

उपस्थित – श्री दिनेश कुमार वैष्णव अधिवक्ता वादीया
श्री गजेन्द्र सिंह झाला, अधिवक्ता प्रतिवादीगण
प्रा.पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 व धारा 151 CPC

।। निर्णय ।।

1. यह कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 व धारा 151 सीपीसी के तहत प्रतिवादीगण के खिलाफ प्रस्तुत किया कि मौजा निकुंभ की आराजी नम्बर 453/1, 453/2, 457/4, 457/3ख, 558, 573, 653/3, 667, 668, 678 कुल किता 10 कुल रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा एवं आराजी नं. 455/2, 456/1ख, 456/2क, 456/2ग, कुल किता 4 कुल रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा मौजा निकुंभ में स्थित होकर वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण का शामलाती 1/3 हक हिस्सा है तथा उक्त आराजीयात प्रार्थीगण के पिता जगन्नाथ जी है की तथा जगन्नाथ जी की मृत्यु के बाद उक्त आराजीयात प्रार्थीगण के नाम विरासत के आधार पर दर्ज हुई तथा प्रार्थीगण ही वादग्रस्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है।

उप खण्ड अधिकारी
बड़ीसादड़ी (चित्तौड़गढ़)

2. यह कि प्रतिवादी सं. 1 राधेश्याम ने वादग्रस्त आराजीयात अपनी खातेदारी में जगन्नाथ जी का सम्पूर्ण हिस्सा दर्ज कराने हेतु उक्त वाद प्रस्तुत किया है तथा वाद में जगन्नाथ जी के द्वारा प्रतिवादी सं. 1 राधेश्याम को अपना गोदी पुत्र बनाने का तथ्य अंकित किया है तथा प्रार्थीगण के द्वारा दिनांक 29/08/2008 को जरीये रिलिज डीड के विपक्षी सं. 1 को अपना सम्पूर्ण हिस्सा देने का तथ्य अकित किया है, तथा उक्त वादग्रस्त आराजी बाबत प्रार्थीगण के द्वारा विपक्षी सं. 1 के पक्ष में कभी भी कोई हक त्याग पत्र निष्पादित नहीं किया है न ही प्रार्थीगण के पिता के द्वारा विपक्षी सं. 1 राधेश्याम को कभी गोदी पुत्र ही बनाया है विपक्षी राधेश्याम शंकरलाल जी का जायन्दा पुत्र है तथा शंकरलाल जी के हक हिस्से पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है।

3. यह कि विपक्षी सं. 1 के द्वारा उक्त वाद प्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया है तथा विपक्षी का वाद आधार दस्तावेज दिनांक 29/8/2008 का रिलिज डिड है जिसको भी विपक्षी के द्वारा न्यायालय में साबित नहीं कराया है तथा न्यायालय द्वारा उक्त वाद एक पक्षीय दिनांक 13/3/2015 को डिक्री कर दिया है जो न्याय एवं नियम के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है।

4. यह कि उक्त प्रकरण की तामिल प्रार्थीगण पर नहीं हुई है तथा प्रार्थी सं. 2 देउबाई के नाम का न्यायालय द्वारा दिनांक 26/6/2012 का सम्मन जारी किया गया जबकि उक्त दिनांक को न्यायालय में पेशी भी नियत नहीं थी तथा उक्त सम्मन प्रार्थी को नहीं मिला है तथा न्यायालय द्वारा दिनांक 21/3/2013 को प्रार्थी देउबाई के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर तथा प्रार्थी चांदीबाई को भी तामील प्रोपर रूप से नहीं हुई है तथा न ही प्रार्थीया को कोई सम्मन ही प्राप्त हुआ है। फिर भी न्यायालय ने दिनांक 26/2/2015 को प्रार्थी सं. 1 चांदीबाई के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर उसी दिन प्रार्थी एवं गवाह रामचन्द्र के बयान लेकर दिनांक 13/3/2015 को एक पक्षीय सुनकर उसी दिन वाद वादी डिक्री कर दिया है जो गैर कानूनी होने से निरस्त होने योग्य है।

उप खण्ड अधिकारी
बड़ीसादड़ी (चित्तौड़गढ़)

उक्त वाद में प्रार्थीगण की प्रोपर तामील भी नहीं हुई न ही गोद से संबंधीत कोई दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तुत किया है तथा न्यायालय द्वारा दिनांक 13/3/2015 को वाद वादी डिक्री कर दिया गया। उक्त डिक्री की जानकारी प्रार्थीगण को नहीं थी तथा प्रार्थीगण द्वारा अपने हक हिस्से की आराजीयात पर ऋण लेने हेतु पटवार हल्का से सम्पर्क किया तो उक्त निर्णय की जानकारी हुई जिस पर दिनांक 18/4/2016 को जानकारी होते ही नकल हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जो दिनांक 19/4/2016 को नकल लेते ही उक्त प्रार्थनापत्र अन्दर अवधि 30 दिन में प्रस्तुत कर दिया है तथा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन करने में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रार्थीगण ने देरी के कारण स्पष्ट किया है। इसलिये प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जावे।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरीये सूचना पत्र से तलब किया गया जिस पर विपक्षी राधेश्याम की ओर से जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जिसमें विपक्षीगण ने प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार किया तथा प्रार्थीगण की प्रोपर तामील होने की बात कही व न्यायालय द्वारा वाद सही डिक्री होना अंकित किया । अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र खारीज फरमाया जावे।

प्रार्थनापत्र पर बहस सुनी गयी। मूल पत्रावली सिगे से तलब की गयी। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया तथा प्रार्थनापत्र के सपोर्ट में न्यायिक दृष्टान्त आर.आर. टी. 2011–12 सप्लीमेंट्री पेज 330, आर.आर.टी 2013(2) पेज 1211, आर.आर टी 2010(1) पेज 216 व पेज 343, आर आर टी 2011(2) पेज 984 पेश किया व निवेदन किया कि प्रकरण में प्रार्थीगण की प्रोपर तामील नहीं हुयी है न ही प्रार्थीगण को सुना गया इसलिये प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर न्यायालय द्वारा पारीत डिक्री निरस्त फरमायी जाकर प्रार्थीगण को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जावे। विपक्षीगण ने अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराया

उप खण्ड अधिकारी
बड़ोसादड़ी (चित्तौड़गढ़)

व निवेदन किया कि प्रार्थीगण की वाद में प्रोपर तामील हुयी है तथा न्यायालय ने जो निर्णय पारीत किया हे वो सही है इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र खारीज फरमाया जावे व न्यायालय द्वारा पारीत निर्णय व डिकी यथावत रखी जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया । मूल वाद में प्रार्थीगण की तलबी हेतु दिनांक 26/6/2012 का न्यायालय द्वारा सम्मन जारी किया गया जिस पर चांदी बाई की अंगुष्ठ निशानी अंकित है किन्तु किसी मौतबीर से शिनाक्त नहीं करवायी गयी कि उक्त निशानी चांदी बाई के द्वारा लगायी गयी है तथा पत्रावली पर देउ बाई का अदम तामील सम्मन भी सलंग्न है। जिस पर प्रोसेस सर्वर के द्वारा रिपोर्ट अंकित की गयी है कि देउ बाई कन्नौज निवास करती है फिर भी देउ बाई का दुबारा सम्मन निकुंभ भेजा गया व रजिस्टर्ड सम्मन हेतु आदेश हुआ जिस पर भी रजिस्टर्ड सम्मन पुनः निकुंभ भेजा गया व पत्रावली पर प्राप्ति स्वीकृति रसीद भी है जिस पर देउ बाई के हस्ताक्षर नहीं है इसलिये प्रार्थीगण पर करायी गयी तामिल प्रोपर नहीं मानी जा सकती है तथा प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र धारा 5 का स्वीकार किया जाता है व प्रार्थनापत्र अन्दर अवधि शुमार किया जाता है। व प्रकरण में प्रार्थीगण की प्रोपर तामील नहीं हुई है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र आदेश 9 नियम 13 का स्वीकार किया जाता है व प्रकरण सं. 135/11 ई.रे. दिनांक 13/3/2015 को पारित एक पक्षीय डिकी व निर्णय को निरस्त किया जाता है व प्रार्थीगण को उक्त वाद में अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है। प्रार्थना पत्र फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 27/02/18 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

जितेन्द्र कुमार पाण्डे
आर.ए.एस.
उप खण्ड अधिकारी
बड़ीसादड़ी (चित्तौड़गढ़)